“ग्रामीण क्षेत्र में शिशु मृत्यु: लखनऊ जिले के चयनित गॉवों का समाजशास्त्रीय अध्ययन”

Infant Mortality in Rural Area: A Sociological Study of Selected Villages in Lucknow District

शोध सारांश

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की समाजशास्त्र विषय में एम0 फिल0 उपाधि हेतु प्रस्तुत

मास्टर ऑफ फिलॉसफी
(एम0 फिल0)

शोधार्थी
अनुज वर्मा
नामांकन सं0 164/14

शोध निर्देशक
डॉ0 ब्रजेश कुमार

समाजशास्त्र विभाग

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
विद्याविहार, रायबरेली रोड, लखनऊ, उ0प्र0,भारत

2018

प्रस्तावना

शिशु मृत्यु एक अत्यन्त संवेदनशील सूचक है, जो किसी देश की स्वास्थ्य दशाओं की ओर संकेत करता है साथ ही शिशु मृत्यु का स्तर किसी भी राष्ट्र की समृद्धि को भी दर्शाता है। उन देशों में, जहां की जनसंख्या का अधिकांश प्रतिशत निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करता है, वह पर शिशु मृत्यु दर अधिक हैं तथा उच्च रहन–सहन के स्तर वाले देशों में शिशु मृत्यु दर पर्याप्त नीचे है

यदि किसी देश की जनसंख्या में सामान्य वृद्धि, अत्यधिक जन्मदर अथवा अत्यधिक मृत्यु दर द्वारा होती है तो यह उस देश के आर्थिक पिछड़ेपन का परिचायक है। इसके विपरीत कम जन्म दर तथा कम मृत्यु दर राष्ट्रीय समृद्धि का अभिसूचक है। **अग्रवाल (1981)** के शब्दों में मृत्यु दर को किसी भी राष्ट्र की सम्पन्नता का सूचक माना जाता है,

पेट्रोव (1985) के अनुसार, लोगों ने सदैव मृत्यु के कारणों से संघर्ष करने की आवश्यकता का अनुभव किया है, तथा वे एक लम्बे समय तक इस आवश्यकता की पूर्ति की दिशा में कोई प्रगति नहीं कर सकें है। किन्तु सामाजिक तथा वैज्ञानिक प्रगति के कारण मृत्यु से संघर्ष तथा जीवन को दीर्घायु प्रदान करने में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की है।

शिशु मृत्यु–दरः

शिशु मृत्यु–दर को ज्ञात करने के लिये एक वर्ष की आयु अवधि में मृतक शिशुओं की संख्या तथा उसी वर्ष की सम्पूर्ण सजीव जन्म लिये बच्चों की संख्या के साथ स्थापित प्रति हजार के अनुपात का आधार मानते हैं।

अर्थात एक वर्ष की आयु अवधि के अन्दर मरने वाले शिशुओं की सम्पूर्ण संख्या को उस वर्ष की सम्पूर्ण जन्म सम्बन्धी घटनाओं से भाग देकर और उसमें 1000 से गुणा करके इस दर को प्रति हजार व्यक्तियों के आधार पर ज्ञात करते हैं।

$$\text{शिशु मुत्यु–दर} = \frac{\text{एक वर्ष में शिशु मृत्यु की कुल संख्या}}{\text{एक वर्ष में नवजातों की कुल संख्या}} \times 1000$$

शिशु मृत्यु को भी दो भागों में विभक्त किया गया है। यह विभाजन सामान्यतः मृत्यु के कारणों पर ही आधारित है। कुछ बच्चे जन्म से ही शारीरिक रूप से अपरिपक्व होते हैं अतः उनकी मृत्यु अतिशीघ्र हो जाती है। दूसरी तरफ कुछ बच्चे शारीरिक रूप से पुष्ट होकर जन्म तो लेते हैं परंतु सामाजिक परिवेश में विकृति के कारण नाना प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त हो कर मर जाते हैं।

इस अध्ययन में शिशु मृत्यु दर को नहीं मापा गया है क्योंकि इसके लिये लगभग 1000 का नमूना होना आवश्यक है। परन्तु मैंने शिशु मृत्यु के कई आयामों को समझने की कोशिश की है।

यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर अधिक है। वर्ष 2011 में 16.55 लाख बच्चों का पांच वर्ष की उम्र से पहले ही निधन हो गया। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में हर रोज लगभग 19000 बच्चों की पांच वर्ष की उम्र से पहले ही मृत्यु हो जाती है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने बच्चों और महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और भविष्य के लिए कई योजनाएं चलायी है लेकिन शिशु मृत्युदर में कोई खास कमी नहीं आई है।

2015 के शिशु मृत्यु दर के आंकड़ो को देखा जाये तो यह कहा जा सकता है कि विकसित देशों में शिशु मृत्यु दर कम है। नार्वे और जापान में शिशु मृत्यु दर 2 है जबकि विकासशील देश जैसे– नाइजीरिया में यह 69 है। भारत में यह संख्या 36 है जो विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है।

विश्व भर में शिशु मृत्यु दर के कारणों में निमोनिया, मलेरिया, डायरिया, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं न होना और कुपोषण है। युएन की इसके पहले आई एक रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से भी सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु भारत में ही होती है।

अध्ययन का महत्व

जैसा कि पूर्व अध्ययनों एवं विश्व बैंक के 2015 के आंकड़ो से स्पष्ट है कि भारत में शिशु–मृत्यु विकसित एवं कई विकासशील देशों की तुलना में अधिक है। किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित ऐसे अध्ययन कम हुए है।

भारत में चूंकि 70 प्रतिशत आबादी गॉवों में निवास करती है और गॉवों में नगरों की तुलना में शिशु–मृत्यु दर अधिक है। अतः ग्रामीण क्षेत्र में शिशु मृत्यु की विभिन्नताओं के संदर्भ में अध्ययनों की महती आवश्यकता प्रतीत होती है।

जनांकिकी विशेषगों का अधिक बल शिशु मृत्यु दर और इसके विविधताओं को मापने पर होता है।

शिशु मृत्यु पर अधिकतर कार्य जनांकिकी विशेषगों द्वारा किया गया है। वे शिशु मृत्यु के सामाजिक सांस्कृतिक कारकों पर कम बल देते है। इस अध्ययन में शिशु मृत्यु के सामाजिक सांस्कृतिक आयामों को समझने का प्रयास किया गया है।

भारत में भी शिशु मृत्यु दर में लैंगिक असमानता कम हो रही है। इस परिदृश्य में पुराने अध्ययन की समीक्षा होनी अत्यन्त आवश्यक है।

प्रस्तुत अध्ययन में शिशु मृत्यु में लैंगिक असमानताओं का आंकलन किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन की प्रासंगिकता बढ़ जाती है।

अध्ययन के उद्देश्य

अध्ययन लक्ष्य केन्द्रित हो इसलिए किसी भी अध्ययन में उद्देश्यों का निर्धारण अति महत्वपूर्ण चरण होता है, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन के भी कुछ प्रमुख उद्देश्य निर्मित किए गए है जो निम्न हैः–

1. शिशु मृत्यु के सामाजिक कारक का विश्लेषण करना।
2. शिशु मृत्यु में लैंगिक असमानता का आंकलन करना।
3. शिशु मृत्यु पर नियंत्रण पाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

परिकल्पनायेंः

शोध विषय चुनने के पश्चात् परिकल्पना का निर्माण अत्यंत महत्वूपर्ण है। परिकल्पना किसी भी विषयों में चर के रूप में कार्य करती है। यह किसी समस्या का समाधान भी कर सकती है अथवा इसके विपरीत समस्याओं का कारण भी हो सकती है।

प्रस्तुत शोध में प्रमुख परिकल्पनाएं निम्नलिखित हैं–

1. माता–पिता का साक्षरता शिशु मृत्यु को निर्धारित करता है।
2. सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारक शिशु मृत्यु को निर्धारित करता है।
3. शिशु मृत्यु में लैगिक असमानता पाई जाती है।

शोध प्रारूप के अन्तर्गत किसी भी समस्याओं का समाधान योजनाबद्ध तथा चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। अनुसंधान द्वारा शोध प्रारूप तैयार करना महत्वपूर्ण है। जिसके निर्देशन में शोध कार्य पूर्ण रूप से किया जाता है।

समस्याओं के निर्धारण के पश्चात् उसे अव्यय तत्वों का निर्धारण तथा उनका समय स्थान एवं व्यक्ति के सन्दर्भ में अवलोकन करना है। अवलोकन की प्रासंगिकता, अवलोकन को लिपिबद्ध करना, उनका विश्लेषण तथा उस पर आधारित निष्कर्षों एवं प्राप्त निष्कर्षों का सामान्यीकरण चरणबद्ध तरीकों से पूर्ण करना ही शोध का प्रारूप अंग है।

प्रस्तुत शोध कार्य में समस्याओं का किसी व्यक्ति विशेष की न होकर जनसंख्या के न्यादर्श की होती है तथा अध्ययन का उद्‌देश्य विशिष्ट है।

इस कारण से वर्णनात्मक शोध प्रारूप का प्रयोग की गयी समस्याओं के शोध के लिए किया गया है।

अध्ययन पद्वति

अध्ययन प्रारूप – अध्ययन की प्रकृति व उद्‌देश्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तुत शोध का अभिकल्प वर्णनात्मक है। इसका मुख्य उद्‌देश्य ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे शिशु मृत्यु के स्तर तथा विभिन्नताओं का वर्णनात्मक अध्ययन करना है।

निदर्शन–

समस्या का क्षेत्र विशाल होने से अत्यधिक धन व समय का व्यय होता है साथ ही समस्या का गहन अध्ययन भी संभव नहीं हो पाता है।

1. लखनऊ जिले में इन्दिरा नगर के चयनित गॉवों का अध्ययन किया गया।

2. सर्वप्रथम हम उन घरों की सूची तैयार करेंगे जिसमें पिछले छः माह में शिशु मृत्यु हुई है। इस सूची में से 100 परिवारों का चयन अध्ययन हेतु दैव निर्दशन के माध्यम से किया किया गया हैं।
3. इन्दिरा नगर के चयनित गॉवों में से 9 ग्रामों का चयन प्रस्तुत अध्ययन के लिए किया गया है ये ग्राम निम्न हैः–

(1) हरदासी खेड़ा (2) बादशाह खेड़ा (3) फतेहापुरूवा (4) रसूलपुर

(5) अमराई गॉव (6) सूगामऊ (7) चूरामनपुरूवा (8) झरारा

(9) मोहम्मदपुर

उत्तरदाताओं का चयन इस बात को ध्यान में रखकर किया गया है कि वे अध्ययन के सम्पूर्ण क्षेत्रों तथा सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हों तथा जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक की हो।

तथ्यों का संकलन–

इस शोध में आंकड़ों के संग्रहण के लिए प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों में स्रोतों का प्रयोग किया गया है। प्रथम स्रोत के रूप में शोधकर्ता द्वारा प्रश्नावली पर आधारित साक्षात्कार अनुसूची तथा वैयक्तिक अध्ययन प्रविधि का प्रयोग किया गया है। द्वितीय स्रोत के अन्तर्गत शोधकर्ता द्वारा उपलब्ध साहित्य, किताब, पत्र–पत्रिकाओं, जर्नल सरकारी ऑकड़े, जनगणना ऑकड़े, इंटरनेट पर उपलब्ध आंकड़े प्राप्त किये हैं।

साक्षात्कार अनुसूची में प्रश्नों के आपेक्ष में उत्तर दिये गये हैं तथा वस्तुनिष्ठा का ध्यान पूर्ण रूप से रखा गया है। प्रश्न पूछते समय इस बात का

ध्यान रखा गया है कि प्रश्नों का स्तर इस प्रकार का हो जो अध्ययन के समय सम्मिलित महिलाओं की समझ में आ सके। जिससे किसी पूर्वाग्रह को कम किया जा सके। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में पूर्ण जानकरी उत्तरदाताओं को हो। इस कारण प्रश्नों को सरल भाषा मे समझाकर भी पूछा गया है ताकि भाषा की जटिलता को भी समाप्त किया जा सके तथा साक्षात्कार में मानवीय त्रुटियों को कम से कम किया जा सके यद्यपि सदैव ऐसा होना सम्भव नहीं है। साक्षात्कार अनुसूची तैयार करते हुए पूछे गये प्रश्नों के बारे में शोधकर्ता के द्वारा भी अवलोकन किया गया तथा उस विषय के सम्बन्धित साहित्य का अवलोकन किया गया है जिससे प्रश्नोत्तरी के समय शोधकर्ता को भी किसी प्रकार की आने वाली समस्याओं का सामना कम से कम करना पड़े।

यह शोध अक्टूबर 2017 से जनवरी 2018 तक किया गया है तथा यह कार्य इस शोध के समस्त अध्ययनों में अंकित है। सम्पूर्ण तथ्यों का संकलन शोधकर्ता द्वारा स्वयं ही किया गया है।

शोधकर्ता द्वारा शोधकार्य स्वयं ही उत्तरदाताओं से आमने–सामने साक्षात्कार करके समस्त साक्षात्कार अनुसूची तैयार की गई है तथा आंकड़ों का संग्रहण किया गया है। संकलित किये गये आंकड़ों का शोधकर्ता द्वारा विश्लेषण करने के लिये सम्पादन किया गया है किन्तु इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि सम्पादन से वस्तुनिष्ठता पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं आये।

प्रासंगिक, व्यवाहारिक तथा महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राथमिकता दी गई। निरर्थक सूचनाओं को सावधानी से छांटकर अध्ययन से दूर रखा गया है।

शोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्गीकरण तथा सारणीयन किया गया है तथा सांख्यिकीय सिद्धान्तों के अनुसार उनकी विवेचना उनका विश्लेषण करने के पश्चात् सामान्यीकरण किया गया है। इस शोधकार्य के दौरान शोधकर्ता को न केवल अपने शोधकार्य के जानकारी मिली बल्कि इस बात का भी ज्ञान हुआ कि अध्ययन के लिए चुने गये क्षेत्रों में अन्य विभागों द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों की वास्तविक दशा किस हद तक प्रभावी है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत अध्याय में इस शोध प्रबंध के मुख्य निष्कर्षों पर प्रकाश डाला गया है तथा शिशु मृत्यु पर नियंत्रण हेतु सुझाव प्रस्तुत किया गया है। इस अध्ययन में शिशु मृत्यु दर को नहीं मापा गया है क्योंकि इसके लिये लगभग 1000 का प्रतिदर्श होना आवश्यक है। परन्तु मैंने शिशु मृत्यु के कई आयामों को समझने की कोशिश की है। इस संदर्भ में अध्ययन की सुलभता हेतु पांच अध्यायों में बाँटा गया हैं।

प्रथम अध्याय में प्रस्तुत शोध का परिचय, साहित्य की समीक्षा अध्ययन का महत्व है।

द्वितीय अध्याय में शोध प्रविधि का अर्थ एवं महत्व, अध्ययन के उद्देश्य तथा अध्ययन की उपकल्पनाएं तथा अध्ययन पद्धति की व्याख्या की गई है।

तृतीय अध्याय में शिशु मृत्यु से संबंधित कुछ ऐसे सामाजिक–आर्थिक कारकों का सूक्ष्म से विश्लेषण किया गया है जिसके कारण शिशु मृत्यु में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है ऐसे विभिन्न सामाजिक कारक जो शिशु मृत्यु को प्रभावित करती है। अध्ययन के उपरांत पाया गया कि मॉ के शैक्षिक स्तर का भी शिशु मृत्यु से संबंध है अध्ययन के दौरान अशिक्षित महिलाओं में शिशु मृत्यु दर 65 है, जबकि माध्यमिक शिक्षा से अधिक शिक्षित महिलाओं में शिशु मृत्यु दर 6 है, फलस्वरूप उपरोक्त शोध

के आधार पर हम कह सकते है कि हमारी उपकल्पना माता–पिता का शैक्षिक स्तर शिशु मृत्यु को निर्धारित करता है।

नवजात एवं पश्च नवजात अवस्था में शिशु मृत्यु के कारणों का विवेचन करने पर पाया गया कि नवजात अवस्था में बीमारी/प्रसव संबंधी असावधानी के कारण जबकि पश्च नवजात अवस्था में अज्ञानता एवं कुपोषण के कारण शिशु मृत्यु अधिक पाई गई है, फलस्वरूप उपरोक्त शोध के आधार पर हम कह सकते है कि हमारी उपकल्पना सामाजिक–आर्थिक कारण शिशु मृत्यु को निर्धारित करता है।

चतुर्थ अध्याय 'शिशु मृत्यु में लैंगिक असमानता' का उद्देश्य शिशु में लैंगिक असमानता का आंकलन करना है लिंग भेद की वजह से महिलाओं के यौन संबंधी अधिकार कम हो गए हैं, महिलाओं को जबरन कम उम्र में शादी और बच्चा पैदा करने को मजबूर किया जाता है। बेटे के लिए बार–बार गर्भवती होने को लाचार किया जाता है क्योंकि भारतीय मान्यता में बेटे से ही वंश बढ़ता है इस वजह से शिशु मृत्यु के मामले भी बढ़ते है। अध्ययन के उपरांत पाया गया कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की शिशु मृत्यु अधिक हुई है। जिसमें से हिन्दू समुदाय में लड़कियों की मृत्यु 52 प्रतिशत तथा लड़कों की मृत्यु 48 प्रतिशत हुई है। इसी प्रकार मुस्लिम समुदाय में लड़कियों की मृत्यु 56 प्रतिशत तथा लड़कों की मृत्यु 44 प्रतिशत हुई है। शिशु मृत्यु में लैंगिक असमानता पाई जाती है लड़कों और लड़कीयों के शिशु मृत्यु का आंकलन करने पर पाया गया कि लड़कियों के जन्मों में शिशु मृत्यु 53 प्रतिशत है जबकि लड़को के जन्मों में शिशु मृत्यु 47 प्रतिशत पाया गया है, फलस्वरूप उपरोक्त शोध के आधार पर हम कह सकते है कि शिशुओं में लड़को की तुलना में लड़कियों की अधिक मृत्यु होती है।

अंत में यह कहा जा सकता है कि लखनऊ जिले में इन्दिरा नगर के चयनित गॉवों में शिशु मृत्यु दर एक गंभीर समस्या है और इसे रोकने के लिए ईमानदारी से उपाय किये जाने चाहिए।

सुझाव

ग्रामीण क्षेत्र में शिशु मृत्यु के ऊपर किये गये अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर समस्या के निराकरण हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये गये है, जो इस प्रकार है।

- अधिकतर गर्भवती महिलायें 15–29 वर्ष की आयु के मध्य में है। महिलाओं की आयु सीमा इस हिसाहब से महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वह समय होता है जिसमें महिलाओं में गर्भधारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती। ऐसी आयु श्रेणी महिलाओं को उचित देखरेख तथा इलाज की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा महिलायें स्वस्थ्य रहे। यदि वे गर्भ धारण करें, तो उनके गर्भस्थ शिशु भी स्वस्थ रहें तथा उन सब बीमारियों से बचें जो कि माँ की ओर से शिशु को गर्भ में ही हो जाती है।
- अधिकतर महिलाएं अशिक्षित है। ऐसी स्थिति में ठीक ढंग से अपनी एवं अपने शिशुओं की देखभाल नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से उनकी देखभाल तथा इलाज की व्यवस्था होना आवश्यक है।
- कुछ महिलाओं का विवाह 18 वर्ष के आस–पास की आयु में हो जाता है। ऐसी स्थिति में बिना किसी परिवार नियोजन का उपाय करे अधिक प्रजनन हो सकता है। कम आयु में विवाह के कारण शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है, तथा अधिक प्रजनन के कारण मॉ एवं शिशु के स्वास्थ्य पर

बुरा असर होता है। इसलिये विवाह की उम्र 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।

- आशा बहुआ के पास बुखार, खांसी तथा दस्त की दवा उपस्थित रहती है। इसके साथ–साथ रोगी शिशु के लिये भी दवायें उपलब्ध होनी चाहिये।
- रक्ताल्पता भारत में महिलाओं की एक मुख्य बीमारी है तथा अध्ययन क्षेत्र में इसके रोगियों की संख्या बहुत अधिक है। रक्ताल्पता को दूर करने के लिए आयरन की गोलियां खाने को दी जाती हैं। गर्भावस्था मे जिन महिलाओं में हीमोग्लोबिन सामान्य होता है उनको 1 गोली प्रतिदिन तथा जिनको हीमोग्लोबिन कम होता है उनको 2 गोली प्रतिदिन भोजन के साथ खानी चाहिये। इससे गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य में सुधार होगा।
- सर्वप्रथम शिशुओं को जन्म होने के बाद समय–समय पर टिटनेस डिफथीरिया, काली खांसी डायरिया, खसरा आदि के टीके लगवाने चाहिये।
- प्रसव किसी सरकारी डाक्टरों या प्राइवेट डाक्टरों से करवाना चाहिये तथा अप्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।
- कुपोषण के कारण होने वाली शिशु मृत्यु से बचने के लिये मॉ के भोजन एवं स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिये ।